

3646

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,
सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-24/09/26

विषय:- निविदा निष्पादन के क्रम में सही एवं सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में।

- प्रसंग:- 1. पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-प्र06/विविध-158/2010-6866(E), दिनांक-25.10.2012 एवं पत्रांक-प्र06/नियम-02/2010-7986 (E) दिनांक-07.12.2012
2. जल संसाधन विभाग, बिहार का पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003.536, दिनांक-13.06.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि निविदाओं के निष्पादन एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया जा रहा है कि मानक निविदा दस्तावेज (SBD) के Section-I Instruction to Bidder के कंडिका 4.5A(c) के तहत वांछित न्यूनतम अहर्ताओं (Mandatory Qualification Criteria) के अंतर्गत असंगत (minor item) के लिए अनुभव की मांग की जा रही है जिससे निविदा निष्पादन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब एवं जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं।

उक्त के आलोक में निविदा अभिलेख में समरूपता हेतु निम्नलिखित निदेश निर्गत किया जाता है:-

- (1) SBD की कंडिका 4.5A(c) के तहत वांछित कार्य मदों (Items) का सूक्ष्मता से गहन जांचोपरांत निर्धारण करें तथा कार्य अनुभव के तहत Common एवं Major item of work के लिए अनुभव की मांग की जाए ना कि Minor item के लिए। विभाग के अंतर्गत किए जा रहे सड़क, नाला, भवन तथा पार्क निर्माण के कार्य हेतु निम्न बिन्दु के आधार पर SBD की कंडिका 4.5A(c) के तहत वांछित कार्य मदों (items) का निर्धारण करना सुनिश्चित करेंगे।

(क) सड़क निर्माण कार्य के लिए

"Executed in any one year, the minimum quantities of the following items of work as indicated in Appendix:-"

- (i) Earthwork in both excavation and embankment (combined quantities).....m3
- (ii) DLC/PCC/PQC.... सभी प्रकार के Pavement Concrete (M20 and above).....m3
- (iii) Non bituminous work (GSB/WMM).....m3 (as approved in BOQ)
- (iv) Bituminous work (DBM/BM/SDBC/BC/Mastic.... m3) as per approved BOQ
(usually, 50% of the expected peak rate of construction)

(ख) नाला निर्माण कार्य के लिए

"Executed in any one year, the minimum quantities of the following items of work as indicated in Appendix:-"

- (i) Earthwork in both excavation and embankment (combined quantities).....m3
- (ii) Reinforcement Cement Concrete.....m3
- (iii) Reinforcement Bars.....kg
- (iv) Centering and Shutteringm2
(usually, 50% of the expected peak rate of construction)



(ग) भवन निर्माण कार्य के लिए

"Executed in any one year, the minimum quantities of the following items of work as indicated in Appendix:-"

- (i) Earthwork in both excavation and embankment (combined quantities).....m³
- (ii) Reinforcement Cement Concrete.....m³
- (iii) Reinforcement Bars.....kg
- (iv) Brick workm³
- (v) Flooring work (tiles/kota stone/ Granite/etc).....m² (as approved in BOQ)
- (vi) Pile work (for Pile Foundation).....metre (as approved in BOQ).
(usually, 50% of the expected peak rate of construction)

(घ) पार्क निर्माण कार्य के लिए

"Executed in any one year, the minimum quantities of the following items of work as indicated in Appendix:-"

- (i) Earthwork in both excavation and embankment (combined quantities).....m³
- (ii) Horticulture work.....in Rupees 50% (as approved in BOQ)
- (iii) Electrical work..... in Rupees 50% (as approved in BOQ)
- (iv) Brick workm³ (as approved in BOQ).
(usually, 50% of the expected peak rate of construction)

पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-प्र०6/नियम-02/2010-7986 (E) दिनांक-07.12.2012 के आलोक में विगत 5 वर्षों में किसी एक मद के लिए एक वर्ष तथा दूसरे मद के लिए किसी अन्य वर्ष का चयन किया जा सकता है, परन्तु किसी भी परिस्थिति में वर्ष का चयन पिछले 5 वर्षों में से ही किसी एक वर्ष का किया जाना है तथा एक मात्रा की गणना किसी एक वर्ष में प्राप्त उपलब्धि के आधार पर ही की जानी है।

उक्त कार्य के अलावा यदि कोई विशिष्ट प्रकृति का कार्य हो तो संबंधित अधीक्षण अभियंता सम्यक विचारोपरांत SBD के कंडिका 4.5A(c) एवं Appendix to ITB '5' में उल्लेख कर सकते हैं।

(2) सभी नगर निकायो में निर्माण कार्य से संबंधित प्रकाशित होने वाले निविदाओं का RFP/EOI/SBD का विभागीय Guidelines एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत SBD के अनुरूप अनुमोदन संबंधित अधीक्षण अभियंता से प्राप्त करने के उपरांत ही eproc 2.0 पर upload करना सुनिश्चित करेंगे।

(3) निविदा से संबंधित सही, स्पष्ट एवं पूर्णतः अद्यतन (updated) अभिलेख/दस्तावेज ही विभागीय समीक्षा हेतु समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(4) भविष्य में गलत या त्रुटिपूर्ण अभिलेख भेजने पर संबंधित पदाधिकारी की जबाबदेही तय की जाएगी।
इसे अति महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


24/01/26
(विनोद कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।